International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक–प.1(29) गृह–12/कारा/1996 पार्ट जयपुर, दिनांक : e-signed date

–: आज्ञा :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम–7 के अनुसरण में माननीय राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान जेल सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय नियत पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं:–

SNO	MERIT NO	RNO	NAME	CATEGORY	BIRTH DATE	QUOTA
1.	214	1102065	UMMED CHOUDHARY	BC	17-01-1992	GM-AG
2.	256	1116176	SURESH KUMAR	BC	24-07-2000	GM-AG
3.	329	1115288	SUNIL VISHNOI	BC	26-01-1994	GM-AG
4.	376	1110064	NEHA YADAV	BC,WE	08-07-1999	GF-AG
5.	405	1101296	HEMA DHAKER	BC,WE,RG	05-06-1988	OF-QT
6.	417	1100671	PARSA RAM	BC,NG	15-06-1991	OM-NG
7.	782	1109085	PUSHPENDRA	MB	05-10-1991	MM-QT
8.	1519	1103349	MANISH MAHAWAR	SC	15-12-1999	CM-QT

(GE : General, BC : Backward class, WE : Woman, RG : Rajasthan Govt. NG : Non Gazetted, SC : Scheduled Caste, ST : Scheduled Tribe, MB : Most Backward, WD : Widow, TSP : Tribal Sub Plan, UR : Un Reserved, EX : Ex Service Man)

उक्त सेवा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, झालाना डूंगरी (RICEM), जयपुर में दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 9:30 बजे से आयोजित करवाया जावेगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्धारित कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया है, ऐसे सभी अभ्यर्थी उक्त प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय दिनांक 23.03.2026 को सीधे ही गृह (ग्रुप–12) विभाग, कमरा नं. 1117, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उक्त नियुक्तियाँ राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 से संबंधित माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों एवं निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी :–

1. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है एवं उस प्रकरण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है तो उसके संबंध में कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार निर्णय लिया जाना है।
2. उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यधीन रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avadhesh Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 14:21:38 IST
Reason: Approved

3. इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 7 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।
8. इन अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान जेल सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. अभ्यर्थियों को दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, झालाना डूंगरी (RICEM), जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, झालाना डूंगरी (RICEM), जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 23.03.2026 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।
13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।
14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Avadhesh Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 14:21:38 IST
Reason: Approved

के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व अमल में लाई जावेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण/प्रशिक्षण स्थान पर समस्त मूल दस्तावेजों एवं निम्नलिखित सामग्री के साथ उपस्थित होवें:–
    1. प्रशिक्षण सत्रों हेतु औपचारिक वेशभूषाः– पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के लिए ग्रे–पेंट और व्हाईट शर्ट एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए हल्के रंग की साड़ी।
    2. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र (यदि विवाहित हो)।
    3. पासपोर्ट साईज फोटो की 03 फोटो 03 स्टाम्प साईज फोटो की 03 प्रतियां।
    4. बैंक अकाउन्ट का विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति स्वप्रमाणित, एक कैंसिल चैक)।
    5. पैन कार्ड एंव आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
    6. जन–आधार कार्ड की फोटोप्रति स्वप्रमाणित।
    7. कक्षा 10 की अंकतालिका/प्रमाण–पत्र।
    8. नियुक्ति आदेश की प्रति।
18. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के **7 दिवस** पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
19. कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु **नोडल अधिकारी श्री एल. आर. मीना, शासन उप सचिव मो. नं. 9414410051 एवं श्री कपिल वर्मा, अनुभागाधिकारी मो. नं. 9314508855** से संपर्क किया जावे।
20. उक्त सेवा आवंटन एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026 एवं उक्त परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avadhesh Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 14:21:38 IST
Reason: Approved

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निदेशक, हरीश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित ''**बन्ध पत्र**'', बिन्दु संख्या 15 में अंकित **आपराधिक प्रकरणों** के संबंध मे **"Self declaration"** अथवा शपथ पत्र, बिन्दु संख्या 16 में अंकित धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र तथा जो अभ्यर्थी विवाहित हो, उनके विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
6. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2)विभाग को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित अभ्यर्थीगण।
13. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Avadhesh Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2026.03.20 14:21:38 IST
Reason: Approved